रजिस्टर्ड न0 स0-33/एस0 एम 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 12 अप्रैल, 1990/22 चैत्र, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 27 मार्च, 1990

संख्या 1-39/90-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 3) जो दिनांक 27 मार्च, 1990 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1990 का विधेयक संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1990

(विधान सभा में यथा पुरः स्थापित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्यांक 1970 का 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1990 है ।

धारा 74 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (जिसे 1970 का 19 इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 74 की उप-धारा (3) के प्रारम्भ में आए शब्दों "The election" के स्थान पर "Subject to the provisions of section 75, the election" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 75 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (1) में—

(क) विद्यमान प्रथम परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"Provided that the said period may, where the general elections to the Gram Panchayats are due to be held within a period of one year from the expiry of the prescribed term of the office of the Chairman or Vice-Chairman of the Panchayat Samiti, be extended by the State Government for a period till the election of their successors is notified under sub-section (1) of section 78 of the Act; but it shall not be extended in any case beyond a period of one year from the expiry of their prescribed term :" ; and

(ख) विद्यमान प्रथम परन्तुक में शब्द "Provided", के पश्चात् "further" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1985 में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के पश्चात् जन साधारण द्वारा स्थानीय प्रशासन में अधिक प्रभावी रूप से भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) में वर्ष 1987 में संशोधन किया गया था। यह अनिवार्य उपबंध किए गए थे कि ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान, पंचायत समितियों के प्राथमिक सदस्य होंगे और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव पंचायत समिति की सामान्य पदावधि के दौरान दो बार किए जाएंगे। मूल अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1987 में पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया था और उनके अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का पुनः निर्वाचन किया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव के बीच दो वर्ष की अवधि का अन्तर है। इस अन्तर को दूर किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति की सामान्य पदावधि 5 वर्ष है, किन्तु अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के उपबन्धों के कारण जहां ग्राम पंचायतों के आम चुनाव, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति से पूर्व किए जाने हैं, वहां वे पद पर नहीं बने रहेंगे। ग्राम पंचायतों के अगले आम चुनाव 1990 के अक्तूबर मास में होने हैं और पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव वर्ष 1990 के अप्रैल मास में होने हैं। यदि पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव अप्रैल, 1990 में किए जाने हैं, तो पंचायत समितियों के नव निर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, ग्राम पंचायतों के आम चुनावों तक ही, अर्थात लगभग आठ मास के लिए ही अपने पदों पर बने रहेंगे। उन द्वारा प्रभावी रूप से काम करने के लिए यह बहुत ही अल्प अवधि है। इस स्तर पर पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव कराया जाना केवल समय और शक्ति की ही बरबादी होगी। इसलिए पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि में विस्तार करना आवश्यक हो गया है। अतः उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

साधु राम,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:
27 मार्च, 1990.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 1990.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 1990

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-first Year of the Republic of India, as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1990.

Amendment of section 74.

2. For the words "The election" occurring in the beginning of sub-section (3) of section 74 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (hereinafter called the principal Act), the words "Subject to the provisions of section 75, the election" shall be substituted. 19 of 1970

Amendment of section 75.

3. In sub-section (1) of section 75 of the principal Act,—

(*a*) before the first existing proviso the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the said period may, where the general elections to the Gram Panchayats are due to be held within a period of one year from the expiry of the prescribed term of the office of the Chairman or Vice-Chairman of the Panchayat Samiti, be extended by the State Government for a period till the election of their successors is notified under sub-section (1) of section 68 of the Act; but it shall not be extended in any case beyond a period of one year from the expiry of their prescribed term :"; and

(*b*) in the existing first proviso after the word "Provided", the word "further" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

After the general elections of the Gram Panchayats held in the year 1985, the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970) had been amended in the year 1987 to ensure more effective public participation in local administration. Necessary provisions were made that all Pradhans of Gram Panchayats shall be the Primary Members of the Panchayat Samities and the elections to the office of the Chairman and Vice-Chairman of a Panchayat Samiti will be held twice during the normal term of a Panchayat Samiti. Consequent upon the amendments in the principal Act, the Panchayat Samities were re-constituted in the year 1987 and their Chairmen and Vice-Chairmen were elected again. Thus there is a gap of two years between the elections of the Gram Panchayats and the Panchayat Samities. This gap is required to be engulfed.

The normal term of a Panchayat Samiti is 5 years, but by virtue of the provisions contained in the first proviso to sub-section (2) of section 75 of the Act, where general elections to Gram Panchayats are to be held before the expiry of the term of office of the Chairman and Vice-Chairman of a Panchayat Samiti, they would cease to hold office. The next general elections of Gram Panchayats are to be held in October, 1990 and the elections of Chairmen and Vice-Chairmen of Panchayat Samities are due in the month of April, 1990. If the election of the Chairmen and Vice-Chairmen of Panchayat Samities are held in April, 1990, the newly elected Chairmen and Vice-Chairmen of Panchayat Samities will remain in office only till the general elections of the Gram Panchayats, *i.e.* just for an approximate period of 8 months. This is too short a period for their effective functioning. To conduct the elections of Chairmen and Vice-Chairmen of the Panchayat Samities at this stage will be sheer wastage of time and energy. It has, therefore, become necessary to extend the term of the Chairmen and Vice-Chairmen of the Panchayat Samities. This has necessitated amendments in the aforesaid Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA:
the 27th March, 1990.

SADHU RAM,
Minister-in-charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

NIL

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

NIL

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित